

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर
G-3, Raj Mahal Residency Area, Civil Line Phatak, Jaipur

क्रमांक: प.6(ख)लेखा/आडिट कमेटी/डीएलबी/म ले / २२ ३४०

दिनांक 11/02/2022

परिपत्र

विषय:- विभागीय ऑडिट कमेटी (ए.जी.) की बैठक दिनांक 23.12.2020 में शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना में।

विभागीय ऑडिट कमेटी (ए.जी.) की बैठक दिनांक 23.12.2020 के दौरान ध्यान में आया है कि कतिपय नगरीय निकायों द्वारा महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल स्थानीय निकायों के अध्याय-III) में शामिल वांछित सूचनाएं समय पर उपलब्ध नहीं करायी जाती है। उक्त वांछित सूचना प्राप्ति के अभाव में संकलित सूचना महालेखाकार कार्यालय को भिजवाने में अनावश्यक विलम्ब होता है। जिसे महालेखाकार कार्यालय एवं शासन सचिव महोदय द्वारा गंभीरता से लिया गया है।

विभाग के ध्यान में यही भी आया है कि कतिपय नगरीय निकायों द्वारा महालेखाकार एवं स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक विवरण, ड्राफ्ट पैरा, सीएजी पैरा एवं जनलेखा समिति की अनुच्छेदों की ठोस एवं सारगर्भित अनुपालना समय पर नहीं भिजवायी जाती है। जिसे विधासभा, महालेखाकार कार्यालय एवं स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग को अनुपालना भिजवाले में विलम्ब होता है। इसे विधासभा, महालेखाकार कार्यालय एवं स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा गंभीरता से लिया जाता है। इसे शासन सचिव महोदय द्वारा भी गंभीरता से लिया गया है।

विभाग के ध्यान में यह भी आया है कि कतिपय नगरीय निकायों द्वारा महालेखाकार कार्यालय के पुराने आक्षेपों के शीघ्र निस्तारण हेतु प्रभावी मॉनिटरिंग नहीं की जाती है जिसके कारण हर वर्ष आक्षेपों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। शासन सचिव महोदय द्वारा इसे गंभीरता से लेते हुए निर्देशित किया गया है कि समस्त नगरीय निकाय, निकाय स्तर पर बकाया आक्षेपों को विभिन्न श्रेणी में वर्गीकृत करते हुए बकाया आक्षेपों की शीघ्र निस्तारण हेतु संबंधित प्रशासनिक अधिकारी माह में एक बार बकाया आक्षेपों की पालना की समीक्षा करे तथा इसकी प्रभावी मॉनिटरिंग हेतु जहाँ लेखाकर्मियों कार्यरत हो वहाँ इसे तथा जहाँ लेखाकर्मियों कार्यरत नहीं हो वहाँ संबंधित आयुक्त/अधिशाली अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाकर अधिकाधिक आक्षेप निरस्त कराने हेतु निर्देशित किया जावे।

यह भी ध्यान में आया है कि कतिपय निकायों द्वारा अपने लेखों का अंकेक्षण करवाते वक्त अंकेक्षण दलों द्वारा दिये गये मीमो का जवाब तत्समय नहीं देने एवं अपेक्षित रिकार्ड एवं सूचनाएं जॉच दलों को उपलब्ध नहीं करायी जाती, जिससे अनावश्यक आक्षेप गठित होने के साथ ही निकायों की कार्यप्रणाली पर भी अनावश्यक सन्देह उत्पन्न होता है। कतिपय निकायों द्वारा अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण जॉच दल को पुराने बकाया आक्षेपों की ठोस एवं सारगर्भित अनुपालना (कुंजी दस्तावेज के साथ) उपलब्ध नहीं करायी जाती है। जिससे पुराने बकाया अनुच्छेदों की स्थिति यथावत बनी रहती है। इसके अतिरिक्त कतिपय निकायों द्वारा निर्धारित समयावधि में अंकेक्षण प्रतिवेदन की प्रथम अनुपालना भी नियंत्रण अधिकारी की टिप्पणी के साथ महालेखाकार कार्यालय एवं स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग को नहीं भिजवायी जाती है। इसको शासन सचिव महोदय द्वारा गंभीरता से लिया गया है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि महालेखाकार कार्यालय द्वारा चाही गयी (सिविल स्थानीय निकायो के अध्याय-III) में शामिल वांछित सूचनाएँ समय पर उपलब्ध कराने एवं महालेखाकार कार्यालय एवं स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के तथ्यात्मक विवरण, ड्राफ्ट पैरा, सीएजी पैरा एवं जनलेखा समिति के प्रकरणों की ठोस एवं सारगर्भित अनुपालना शीघ्र तैयार कर भिजवाने तथा अंकेक्षण जाँच दलों को सम्पूर्ण वांछित रिकार्ड उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। पुराने बकाया आक्षेपों की प्रभावी मॉनिटरिंग करने हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त करने एवं बकाया आक्षेपों की ठोस एवं सारगर्भित अनुपालना (कुंजी दस्तावेजों के साथ) उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करावें।

अंकेक्षण जाँच दलों द्वारा दिये गये मीमो का तत्समय ही तथ्यों के साथ समुचित जवाब दिया जावे ताकि अनावश्यक आक्षेप गठित ना हो। साथ ही अंकेक्षण प्रतिवेदनों की प्रथम अनुपालना नियंत्रण अधिकारी की टिप्पणी सहित निर्धारित अवधि में सीधे ही महालेखाकार कार्यालय एवं स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।


उपरोक्त निर्देशों की कठोरता से पालना सुनिश्चित करावें।



(हिदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक: प.6(ख)लेखा/आडिट कमेटी/डीएलबी/म.ले./ 22381-22603 दिनांक 11/02/2021
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान जयपुर।
02. निजि सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर।
03. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर/जोधपुर/कोटा/बीकानेर/उदयपुर/अजमेर/भरतपुर को प्रेषित कर लेख है कि अपने क्षेत्रीय नगर निकायों से उक्तानुसार पालना सुनिश्चित करावें।
04. आयुक्त/अधिशिषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त राज. का प्रेषित कर लेख है, कि उक्तानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें।
05. प्रमारी आईटी सैल, निदेशालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।



(महेंद्र मेहन)
वित्तीय सलाहकार